

पत्र सूचना शाखा  
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, ३०प्र०

**राज्यपाल द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक 2016 अनुमोदित**

लखनऊ ०९ मार्च, २०१६

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी है। राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 को संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था जिस पर राज्यपाल ने अनुमति प्रदान करते हुए हस्ताक्षर कर दिये हैं।

-----

अंजुम/ललित/राजभवन (93/15)